

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-33/ऑक्यू थे0/सीधी भर्ती/एफ-एम-76/2024/153

दिनांक: 28/03/2024

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7 (12) भर्ती 'ख' / Occu.Thei/Med & Health/2021-22/635 दिनांक 27.02.2024 द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर गैर अनुसूचित के 23 चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्त सूची के अनुसार निदेशालय के संमख्यक आदेश क्रमांक 108 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा नवचयनित ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर कार्यग्रहण करने की अन्तिम तिथि 28.03.2024 थी, में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 05.04.2024 तक एतद द्वारा बढ़ाया जाता है साथ ही लोकसभा चुनाव राज्य में लागू आचार संहिता में "Election Commission of India (Compendium of Instructions on Model code of Conduct-2024) द्वारा Regular recruitment/appointment or promotion through the UPSC, State Public service commission or the Staff Selection Commission or any other statutory authority can continue. Recruitment through non-statutory bodies will required prior clearance of the commission" के मद्देनजर उक्त भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से है एवं नवचयनित अभ्यर्थी सीधे तौर पर चुनाव कार्य से जुड़े हुये भी नहीं है।

अतः निर्देशानुसार नवचयनित ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अभ्यर्थियों को दिनांक 05.04.2024 तक कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश का शेष यथावत रहेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/ऑक्यू थे0/सीधी भर्ती/एफ-एम-76/2024/153

दिनांक: 28/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ 7 (12) भर्ती 'ख' / Occu.Thei/Med & Health/2021-22/635 दिनांक 27.02.2024 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक(प्रशा0) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राज. जयपुर।
6. संबंधित जिला कलेक्टर राजस्थान।
7. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज।
8. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
9. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
10. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
11. उप अधीक्षक मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
12. उप निदेशक, पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
13. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
14. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।
15. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
16. संबंधित नवचयनित अभ्यर्थी।
17. आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर